"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2011—आश्विन 13, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर, 2011 (भाद्र 14, 1933)

अधिसूचना

क्रमांक-10279/वि.स./स्था/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (सेवा शर्ते) नियम 1990 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 तथा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्ते आदेश) नियम 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

1. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्वीकृत अमला सरल क्रमांक 59 में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद का वेतनमान 5500-175-9000 के स्थान पर पांचवे वेतनमान में संशोधित वेतनमान 8000-13500 एवं छठवें वेतनमान में निर्धारित तत्स्थानी वेतनमान +ग्रेड पे-15600-39100+5400 प्रतिस्थापित किया जाता है.

ये आदेश दिनांक 01-04-2006 से प्रवृत्त समझे जायेंगे.

स्थान : रायपुर
दिनांक : 05, सितम्बर 2011

आदेशानुसार,
हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.